न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 11/2025 बउनवानी प्रताप सिंह **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर, स0मा0
पुत्र रामसिंह राठौड निवासी ग्राम व पोस्ट खण्डार / प्र.अ. पंजीयन

GCMS No-2025/71

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
18.3.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला पंजीयन को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर*" प्रलेख लेखक राजेन्द्र सिंह राठौड के अनुज्ञा पत्र संख्या 4/2000 एवं प्रलेख लेखको के अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण एवं प्रलेख लेखको की संख्या इत्यादि के संबंध मे 3 बिन्दुओ की सूचना " प्रभारी अधिकारी पंजीयन* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर एवं प्र.अ. जिला पंजीयन को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(2)(6)/2025/226 दिनांक 11.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.1.2025 में बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 की सूचना कुल 108 पृष्ठो की प्रभारी अधिकारी पंजीयन अनुभाग के पत्रांक 383 दिनांक 6.3.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रलेख लेखको की व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.1.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 में चाही गयी सूचना (कुल 108 पृष्ठो मे) अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना नही दिये जाने के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:05 IST
Reason: SelfAttested